भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 682
बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएँ

682. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 2025 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की कोई प्रायोगिक परियोजना प्रस्तावित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कृषि अपशिष्ट, विशेषकर धान की पराली के अवशेषों को बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या अद्यतन दिशानिर्देशों के अंतर्गत इन जिलों में कोई संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र या बायोगैस इकाइयाँ स्थापित की गई हैं; और

(घ) बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में, विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, स्थानीय समुदायों और एमएसएमई की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) जुलाई, 2025 में जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लिए अब तक अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) फसल अवशेष के सतत प्रबंधन के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

i. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में सहायता करता है। इसमें बायोमास-आधारित **(**गैर बगास**)** सह-उत्पादन संयंत्र**,** ब्रिकेट**/** पेलेट्स विनिर्माण संयंत्र और कम्प्रेस्ड बायोगैस **(**सीबीजी**/**बायोसीएनजी**)** संयंत्र शामिल हैं। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एनबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।

ii. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और एक उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों (कृषि/बागवानी/मखाना आदि),

डे-एनआरएलएम क्लस्टर स्तर के संघों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80% की दर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक की 65 प्रतिशत की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरिफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधियों के अंतर्गत एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

iv. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अपनी बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (बीएएम) योजना के अंतर्गत, कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्रोड्यूसर्स को बायोमास संग्रहण और एकत्रीकरण के लिए बेलर, रेकर और ट्रॉली जैसी मशीनरी खरीदने के लिए सहायता प्रदान करता है, ताकि कृषि अवशेषों का कुशल उपयोग हो सके और उन्हें खुले में जलाने से रोका जा सके।

(ग) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 90 टीपीडी की संचयी स्थापित क्षमता के साथ कुल 4 कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं।

(घ) कृषि अवशेष के उपयोग के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के अलावा, राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 के माध्यम से बायोमास आधारित परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देती है।

****